83. 30 सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार पैकेज के अंतर्गत रूग्ण/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं कार्यात्मक निदेशकों के लिए प्रोत्साहन योजना

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 24 जुलाई, 2007 तथा 17 दिसंबर, 2008 (प्रतिलिपि संलग्न) के समसंख्यक का.ज्ञा. का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों के कायापलट करने योग्य बोर्ड स्तरीय कार्यकारी अधिकारियों को आकर्षित करने हेतु उपर्युक्त आदेश जारी किया। मुख्य प्रबंध निदेशक सहित बोर्ड स्तर के उन पदधारियों को जिन्होंने संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उद्यम के कायापलट करने में अपना योगदान दिया उनके सेवाकाल को सेवा निवृत्ति आयु से बढ़ाकर 65 वर्ष तथा एकमुश्त प्रोत्साहन राशि अधिकतम रू. 10 लाख प्रति वर्ष किया।

3. इस विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि अनेक मामलों में मुख्य प्रबंध निदेशक सहित बोर्ड स्तर के उन पदधारियों जिन्होंने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उद्यम के कायापलट करने में प्रभावकारी भूमिका निभाया, उन्हें उपर्युक्त योजना का लाभ नहीं दिया गया है। इस प्रकार की स्थिति से उपर्युक्त योजना लागू करने के मूल उद्देश्य नष्ट हो जाता है और संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के पुनरूद्धार पैकेज में सम्मिलित कायापलट लक्ष्यों को प्राप्त करने पर प्रतिकूल पड़ता है।

4. अतः संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह समझाने का निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कायापलट हेतु ऊपर उद्धृत सार्वजनिक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 जुलाई, 2007 तथा 17 दिसम्बर, 2008 में दिए गए उल्लेख के अनुसार योजनाओं के लाभ को अक्षरशः लागू करें जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों को सुदृढ़ एवं पुनरूद्धार करने की सरकार की नीति के अनुरूप होगा।

5. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऊपर उद्धृत लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 जुलाई, 2007 तथा 17 दिसम्बर, 2008 के प्रावधानों के संदर्भ में जिस प्रकार लागू हो उन पर आवश्यक कार्यवाही करें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(11)/2005–जीएम, दिनांकः 7 अगस्त, 2012)

*****